महिला कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित संस्थाये संचालित है।

1. **राजकीय शिशु सदन/बाल गृह (शिशु):** शासनादेश संख्याः 4480/28–6–8(29)/78 दिनांक 21 नवम्बर, 1979 के द्वारा **जनपद अल्मोडा** तथा शासनादेश संख्याः 15/xvii–02–बजट 10(01)/2008 दिनांक 06 नवम्बर, 2008 के द्वारा **जनपद देहरादून** में राजकीय शिशु सदन/बाल गृह की स्थापना की गयी है।

संस्था का उद्धेश्य :– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम–2000 की धारा–34 के अन्तर्गत संचालित राजकीय शिशु सदन/बाल गृह शिशु में ऐसे बालक/बालिकायें जो अनाथ/निराश्रित/परित्यक्त है, जिनके माता पिता/संरक्षक उनके पालन–पोषण करने में असमर्थ हो तथा जिनके माता–पिता कैन्सर रोग से ग्रस्त है,या कारावास में सजा का दण्ड भोग रहे है, को राजकीय शिशु सदन में निरूद्व किया जा सकता है, जिनकी उम्र 0 से लेकर 10 वर्ष तक हो ऐसे बालक/बालिकाओं को राजकीय शिशु सदन/बाल गृह में निरूद्व किया जाता है, निरूद्व बालक/बालिकाओं को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क विभाग द्वारा प्रदान की जाती है, तथा इन्हीं बच्चों को गोद के माध्यम से पुनर्वासित करना एवं जो बच्चें 10 वर्ष से अधिक हो जाते और वे निराश्रित हैं, किसी भी तरह का पुनर्वास नहीं प्राप्त करा पाते हैं तो, ऐसे बच्चों को बाल गृह बालक तथा किशोरियों को बाल गृह बालिका में स्थानान्तरण किये जाने का प्राविधान हैं।

2. **राजकीय बालिका निकेतन/बाल गृह (किशोरी) :–** शासनादेश संख्याः 5787/(1)/18–8–8(8)/79 दिनांक 15 दिसम्बर, 1979 के द्वारा **जनपद अल्मोडा** तथा शासनादेश संख्याः 10/28–9–95–46(36)/93 दिनांक 31 मार्च, 1995 के द्वारा **जनपद देहरादून** में राजकीय बालिका निकेतन/बाल गृह (किशोरी) की स्थापना की गयी है।

संस्था का उद्धेश्यः– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं सरक्षण) अधिनियम–2000 की धारा–34 के अन्तर्गत अनाथ एवं निराश्रित किशोरियों /बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में 02 राजकीय बालिका निकेतन/बाल गृह (बालिका) संचालित हैं। जिन बालिकाओं के माता–पिता कैन्सर/अन्य रोग से ग्रस्त हैं तथा आय का कोई साधन नही हैं,व जिनके माता पिता घोर अपराधी प्रकृति के एवं नशा करते हैं,या माता पिता मर चुके हो, जिनका कोई नहीं हो 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को बालिका निकेतन/बाल गृह (किशोरी) में संरक्षण प्रदान कर शिक्षा एवं सिलाई, कढाई, तथा शिल्प में प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी बनाना है, संस्था में बालिकाओं के लिये निःशुल्क भोजन,वस्त्र,चिकित्सा आदि की सुविधा प्रदान की जाती है, प्रवेशरत बालिकाए शिक्षा हेतु राजकीय स्थानीय विघालयों में जाकर शिक्षा ग्रहण करती है, एवं संवासिनियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु गृह के बाहर भी भेजे जाने की व्यवस्था हैं, जिसका सम्पूर्ण व्यय विभाग द्वारा किया जाता है। तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 85 दिनांक 07 जून, 2003 के द्वारा राजकीय बालिका निकेत को राजकीय बाल गृह (किशोरी) भी नामित किया गया है।

3. **राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (बालक) :–** शासनादेश संख्या–1387/28–6–2(49)/1974 दिनॉक 19 दिसम्बर, 1975 के द्वारा जनपद देहरादून, उत्तरकाशी, पौडी गढवाल, ऊघमसिंह नगर, हल्द्वानी–नैनीताल, अल्मोडा तथा हरिद्वार की स्थापना की गयी है।

संस्था का उद्धेश्य :– किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम–2000 की धारा–8 के अन्तर्गत अपचारी और उपेक्षित किशोरों द्वारा कानून का उल्लंधन करने की स्थिति में उपेक्षित तथा अपचारी किशोरों के लियें राजकीय सम्प्रेक्षण गृह की स्थापना की गई है, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में मा0 न्यायालय के आदेशानुसार 18 वर्ष तक के बाल अपचारी निरूद्व किये जाते हैं। जिन्हें वाद के निस्तारण तक निःशुल्क आवास,भोजन,वस्त्र,चिकित्सा, मनोरंजन की सुविधा के साथ–साथ सामान्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी व्यस्त रखने के उद्धेश्य से दिया जाता हैं।

क्रमश–2

4. **जिला शरणालय एवं प्रवेशालय/राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) :–** पूवर्तीय राज्य उत्तर प्रदेश के शासनादेश सख्याः 5416/36–स.क.–400(25)/69, दिनांक 3 दिसम्बर, 1969 के द्वारा जनपद देहरादून, टिहरी गढवाल, पौडी गढवाल, हल्द्वानी(नैनीताल) की स्थापना की गयी है।

संस्था का उद्धेश्य :– सामाजिक एवं नैतिक स्वास्थ्य अवेक्षा के अन्तर्गत अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अन्तर्गत हुई थी जिसमें महिलाओं को तत्कालिक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के उददेश्य से जिला शरणालय एवं प्रवेशालय स्थापित किए गये है। संस्था में मा0 न्यायालय के आदेश से महिलाओं को निरूद्व किया जाता है, निरूद्व संवासिनियों को आवासीय,भोजन, वस्त्र एवं प्रशिक्षण की सुविधा निःशुल्क प्रदान करायी जाती है। प्रदेश के निम्न जनपदों में जिला शरणालय एंव प्रवेशालय संचालित है।

5. **राजकीय बाल गृह (बालक) :–** उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सख्या 78/स.(म.क.)/3–4(महिला कल्याण)/03 दिनांक 08 दिसम्बर, 2003 के द्वारा जनपद हरिद्वार में राजकीय बाल गृह (बालक) की स्थापना की गयी है।

संस्था का उद्धेश्य :– किशोर न्याय(बालको की देख–रेख एवं सरंक्षण) अधिनियम–2000 की धारा–34 के अन्तर्गत राजकीय बाल गृह किशोर की स्थापना जनपद हरिद्वार में की गयी है,जिसमें 11 से 18 वर्ष के आयु के निराश्रित बालकों को निरूद्व किया जाता हैं। निृरूद्व बालकों को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाता हैं, ताकि वे सामान्य जीवन यापन कर सके, और समाज की मुख्य धारा से जुड सके। राजकीय बाल गृह,बालक, मात्र जनपद हरिद्वार में संचालित है।

6. **राजकीय विशेष गृह :–** उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 83/स.क./03–104 (समाज कल्याण) 03 दिनांक 16 दिसम्बर, 2003 के द्वारा जनपद हरिद्वार में राजकीय विशेष गृह की स्थापना की गयी है।

संस्था का उद्धेश्य :– किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा–9 के अन्तर्गत स्थापित संस्था में मा0 न्यायालय के आदेशानुसार अपराधिक प्रवृति के बच्चे जो राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में निरूद्व बाल अपचारी जिनके माता–पिता बच्चों को अपनी अभिरक्षा में नही ले जा पाते हैं, को मा0 न्यायालय के आदेशानुसार 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के अपचारी को विशेष गृह में निरूद्व किये जाते हैं। विशेष गृह में निरूद्व बालको को संस्था में निःशुल्क आवास,भोजन,वस्त्र एवं प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हैं, प्रशिक्षण आदि के उपरान्त इस तरह के बच्चों को पुर्नवासन के माध्यम से भी पुर्नवासित किये जाने का प्राविधान हैं।

7. **राजकीय नारी निकेतनः–** शासनादेश संख्याः 632/28–6–2(1) 77 दिनांक 24 फरवरी, 1978 के द्वारा राजकीय नारी निकेतन उत्तरकाशी,तथा शासनादेश संख्या 1792/26–1–89–145/86 दिनांक 04 अप्रैल, 1989 के द्वारा जनपद टिहरी गढवाल एवं देहरादून में स्थापना की गयी।

संस्था का उद्धेश्यः– सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों रवाई–जौनपुर एवं जौनसार क्षेत्र के अन्तर्गत वैश्यावृत्ति जैसे धृणित व्यवसाय में लगी हुई अनुसूचित जाती जनजाती की महिलाओं को समाज में सम्मानित स्थान एवं स्वावलम्बी जीवन यापन करने के उद्देश्य से राजकीय नारी निकेतन की स्थापना की गयी है, संस्था की क्षमता 50 महिलाओं की है, संस्था आवासीय है, संस्थाओ में 09 माह का प्रशिक्षण दिये जाने का प्राविधान है, तथा प्रशिक्षण अवधि में संवासिनियो को निःशुल्क भोजन एवं आवास,चिकित्सा, मनोरजंन एवं प्रारम्भिक शिक्षा आदि की व्यवस्था करायी जाती हैं, प्रशिक्षण के उपरान्त उन्हे पुनर्वासित किये जाने का प्राविधान हैं।

क्रमश–3

8. **राजकीय संरक्षण गृह/विशेष गृह (किशोरी) अल्मोडा** :– अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 तहत शासनादेश संख्या 6544/36/स. क.–400(18) 69 दिनांक 31 नवम्बर, 1970 द्वारा राजकीय सरंक्षण गृह/किशोरी की स्थापना की गयी।

संस्था का उद्धेश्य :– अनैतिक व्यापार अधिनियम–1956 के के अन्तर्गत संरक्षण गृह की स्थापना की गयी है, इन गृहों में वैश्यालयों, चकलाधरो आदि से मुक्त करायी गई, महिलाओं तथा बालिकाओं को आश्रय दिया जाता है, साथ ही साथ इन गृहों में निरूद्व संवासिनियों को सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त ऐसे उपयोगी व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाता है, जिसमें वह भविष्य में स्वतन्त्र रूप से स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सके। शिक्षण प्रशिक्षण के साथ–साथ इन महिलाओं को समाज में पुनर्वासित कराने के दृष्टिकोण से विभाग द्वारा समय–समय पर संवासियों की इच्छानुसार उनके विवाह का भी आयोजन किया जाता है। संस्था में संवासिनियों को शिक्षा, वस्त्र, भोजन, चिकित्सा, मनोरंजन तथा प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता हैं।

9. **राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय (बालिका) बागेश्वर** :– निराश्रित बालिकाओं जिनके माता पिता भरण–पोषण करने में असमर्थ हो तथा केन्सर रोग से ग्रस्त है या माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो ऐसी बालिकाओं जिनकी उम्र 06 से 18 वर्ष के मध्य वर्ग की बालिकाओं को राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय में निरूद्व किया जाता है,जिसमें निःशुल्क आवास,भोजन,शिक्षा प्रदान की जाती है।

10. **राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र** :– शासनादेश संख्या 866/28–6–2(32)/1974 दिनांक 09 दिसम्बर, एवं 818–26–1–89–218/80 दिनांक 03 अप्रैल, 1989 के द्वारा राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना जनपद **पिथौरागढ** में की गयी।

संस्था का उद्वेश्य :– इस योजना के अन्तर्गत धरेलू महिलाओं के लिये अल्पकालिन फैन्सी कुर्सी बुनाई ,सिलाई, लेदर वर्क आदि का प्रशिक्षण देकर असहाय एवं निराश्रित महिलाओं को स्वालम्बी बनाया जाता हैं। उक्त सामान तैयार होने पर पारिश्रमिक देय है, संस्था की कुल क्षमाता 100 संवासीनीयों की है, जिसमें 50 संवासीनियों को आवासीय सुविधा एवं 50 अनावासीय जो केवल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती है। संस्था में 50 संवासीनियों को निःशुल्क भोजन, सामान्य शिक्षा, वस्त्र, कपडे आदि सुविधाए प्राप्त है।